रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2010/श्रावण 20, 1932
No. 448] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2010/SHRAVANA 20, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 671(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में पशु चिकित्सा काडर, निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा), (समूह 'ख' पद) और (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III, में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा)	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सम्मिलित है)	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल का ऐसा उप–निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष निरंतर सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। **टिप्पण 1.**— उप–निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा) के संबंध में प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्त जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी में पदधारक कर रहे हैं तीन वर्ष तक बने रहेंगे। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3.— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी:
   (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं;
   (ii) वेतन बैंड, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 में हों।

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों;
   (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य;
   (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पशु चिकित्सा, पशु धन सहायक पाठ्यक्रम;
   (iii) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशिष्टतया अश्व और श्वान के उपचार में तीन वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल या औषधालय का प्रबंध कर सकता हो या उसे चला सकता हो।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4.— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
प्रोन्नति के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप–निरीक्षक (ड्रेसर पशु चिकित्सा)	04* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें सशस्त्र बलों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन सम्मिलित है)	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल (ड्रेसर पशु चिकित्सा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय/राज्य पशु चिकित्सा विभागों से ऐसे कार्मिक जो 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में सदृश पद धारण कर रहे हैं साथ ही पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशिष्टतया अश्व के उपचार में तीन वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल या औषधालय का प्रबंध कर सकता हो या उसे चला सकता हो और पशु धन सहायक पाठ्यक्रम किया हो।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4.— 1.1.2006 या वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (ड्रेसर पशु चिकित्सा)	52* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पशु धन सहायक पाठ्यकम उत्तीण किया हो	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
अन्य काडरों से विभागीय अभ्यर्थियों के आमेलन द्वारा जिनके पास स्तंभ (12) में यथा उल्लिखित अर्हता हो जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल/लांसनायकों में से, जिन्होंने वेतन बैंड–2, 5200–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0 में पांच वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने:– (i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित बुनियादी संघनित पाठ्यक्रम पूरा किया हो। (ii) पशु धन सहायक पाठ्यक्रम को पूरा किया हो। **टिप्पण.—** किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. I-12013/10/2009-संग]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2010

G.S.R. 671(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre, Inspector (Dresser Veterinary) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2007 and the Indo-Tibetan Border Police Force Veterinary Cadre (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Veterinary Cadre, Inspector (Dresser Veterinary) (Group 'B' post) and (Group 'C' posts) in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation/re-employment under the provisions of the rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service(Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Dresser Veterinary)	01* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band-2 ,Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600.	Selection.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation/re-employment of Armed Forces personnel).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption in grade from which promotion/deputation/absorption to be made.
(12)
Promotion: Sub-Inspector (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service in the grade and should have qualified pre-promotional Course/Courses prescribed by the department. **Note 1.**— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Dresser Veterinary), who are holding the post in the feeder grade on regular basis, on the date of the notification of these Rules shall continue to be three years.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

By deputation:

(a) Officers from Central Government Departments/Central Police Organisations:
  (i) holding analogous or equivalent post,
  (ii) in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600/-

(b) possessing following qualifications and experience:
  (i) Matriculation or equivalent from a recognised board; and
  (ii) Veterinary Stock Assistant Course from a recognised institution; and
  (iii) Three years field experience in treatment of various species of animals particularly equine and canine and able to manage or run Veterinary Hospital or Dispensary.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation/re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release form the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Chief Veterinary Officer(Selection Grade) or- Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sub-Inspector (Dresser Veterinary)	04* (2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200.	Selection	Not applicable.	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation/re-employment of Armed Forces personnel).

(12)

By Promotion:

From amongst the Head Constable (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered ten years regular service in the grade and should have qualified pre promotional Course/Courses prescribed by the department.

Note 1.– Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

By deputation:

Personnel holding of analogous posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/- from Central/State Veterinary departments with three years experience in the treatment of various species of Animals particularly equine and canine and be able to manage/run/Veterinary Hospital/Dispensary and also have undergone Veterinary Stock Assistant Course.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation/re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release form the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:- 1. Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Head Constable (Dresser Veterinary)	52* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400.	Not applicable.	Not applicable.

(7)
Between 18 to 25 years. 1. Relaxable for Government servant upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent from recognized board. (ii) Have passed Veterinary Stock Assistant Course from a recognized Institution.	Not applicable.	Two years.	By absorption of departmental candidates from other cadres having qualification as mentioned in column (12) failing which by direct recruitment.

(12)
By absorption : From amongst Constables/Lance Naiks of Indo-Tibetan Border Police Force with five years of service in the grade, PB-2, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000; and who have undergone the following courses:- (i) Basic Condensed Course organised by Indo-Tibetan Border Police Force; and. (ii) Veterinary Stock Assistant Course. **Note .**— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(13)	(14)
Group 'C 'Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I-12013/10/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IT Cell